7/10/16 वादी [illegible] हो। [illegible]
रजि० प्रतिवादी गण तलब होकर दि०
14.10.16 को पेश हो

14/10/16

21/10/16 वकुलाए फरीकैन/वादी/उपस्थित [illegible] अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि० 27.12.16 को पेश होवे।

27/12/16 वकुलाय उप०। प्रतिवादी स० 2 लगायत 9 की ओर से श्री हेतराम Adv ने इकबाल जवाब पेश किया जो शामील पत्रा किया गया। वास्ते जवाब सरकार पत्रा दि० 2.1.17 को पेश हो।

2/1/17 वकुलाय उप०। प्रतिवादी न० 1 की तामील हो चुकी है। जो शामील पत्रावली वादी की तरफ से साक्ष्य मे स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश किया। आगे वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहता। साक्ष्य वादी बन्द। वास्ते बहस पत्रा० दि० 3.1.17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (बयाना)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	बहादुरसिंह बनाम सरकार

दिनांक 3-1-2017

आज पत्रावली पेश हुई। बहस एकपक्षीय (उभयपक्षी) पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के तथ्यानुसार वादी ने एक दावा इन्द्राज रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 इस न्यायालय में पेश किया कि ग्राम आराजी ख.नं. 153/0-17, 445/0-11, 544/1-12, 555/0-12, 559/0-07 बीघा कुल किता-5 कुल रकबा 3-19 बीघा दर्ज खाता संख्या-109 तथा ख.नं. 909/2-03 बीघा, 935/0-11 बीघा कुल किता-2 कुल रकबा 2-14 बीघा दर्ज खाता सं. 231 वाके ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. सह खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलती से लाला, लालाराम उर्फ शेरसिंह पुत्र मनोहरलाल खाता नं.-109 में तथा शेरसिंह पुत्र मनोहरलाल खाता सं. 231 में दर्ज गलत हो गया। जबकि वादी का सही नाम बहादुरसिंह मनोहरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तह. कोटकासिम है। उक्त गलत अंकन को दुरुस्त कर वादी का सही नाम बहादुरसिंह पुत्र मनोहरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की आज्ञा पारित की जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रति.-1 ने बावजूद तामील के जवाबदावा नहीं किया। प्रति. 2 से 9 की ओर से जवाब इकबालदावा पेश किया गया।

वादी द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श-1 प्रा.पत्र राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती, प्रदर्श-2 शपथपत्र स्वयं का, प्रदर्श-3 शपथपत्र सह आसामीदार, प्रदर्श-4 परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति, प्रदर्श-5 छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श-6 नकल जमाबन्दी संवत 2068-71 किता-2, प्रदर्श-7 खसरा 2024-25 पेश किये। साक्ष्य वादी PW-1 बहादुरसिंह वादी का बयान पेश किया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया।

बहस उपरान्त व रिकार्ड प्रदर्श 1 से 6 का अवलोकन से इन रिकार्ड में वादी का नाम बहादुरसिंह दर्ज होना साबित है। सहखातेदार प्रति. 2 से 9 ने भी वादी के नाम बहादुरसिंह होने के सम्बन्ध में इकबालदावा किया है। इस लिये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

-: आदेश :-

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। राजस्व रिकार्ड जमा. सं. 2068-71 के खाता सं. 109, व खाता सं. 231 वाके ग्राम मीरपुर तह. कोटकासिम में वादी का गलत नाम लाला, लालाराम उर्फ शेरसिंह, शेरसिंह को कलमजन किये जाकर व सही नाम बहादुरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। पत्रा. नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय लिखाया बोलकर खुले न्यायालय में आज दिनांक 3-1-17 को सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

खण्ड अधिकारी
...सिम (अलवर)

Scanned by CamScanner